संख्या-528/2026/2507/22-2-2025-17(1163)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश दुबे पुत्र स्व0 मकरन्द दुबे, निवासी जनपद-मैनपुरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-47880/प्रो0अनु0(2)-309/2025(बैठक दिनांक 19.12.2025),दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश दुबे पुत्र स्व0 मकरन्द दुबे, ग्राम-भनऊ, थाना-बिछवॉ, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 10.01.2011 को अभियुक्त द्वारा 09 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया व उसकी हत्या की तथा साक्ष्य का विलोप करने हेतु लाश को नदी में बहा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण एसटी नं0-245/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376(2)(एफ), 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (डीए०ए०) मैनपुरी के आदेश दिनोंक 09.07.2013 मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनोंक 10.02.2014 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 16.11.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष 10 माह 04 दिन तथा 17 वर्ष 10 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 16.11.2025 को बंदी की आयु 40 वर्ष 00 माह 13 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या-1668/22-2-2004-25 (94)/97. दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.08.2025 में संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 10.01.2011 को अभियुक्त द्वारा 09 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया व उसकी हत्या कर दी तथा साक्ष्य का विलोप करने हेतु लाश को नदी में बहा दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार 180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र मकरन्द दुबे को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश दुबे (बन्दी सं0-27887) पुत्र स्व0 मकरन्द दुबे, निवासी जनपद-मैनपुरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-528/2026/2507(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।